सत्यमेव जयते

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

21 AGRAHAYAN 1945 (S)

No. 730

RANCHI, TUESDAY 12th DECEMBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

12th December, 2023

Notification No.- 34/2023 – State Tax

S.O. No. 46, Dated 12th December, 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby specifies the persons making supplies of goods through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 of the said Act and having an aggregate turnover in the preceding financial year and in the current financial year not exceeding the amount of aggregate turnover above which a supplier is liable to be registered in the State or Union territory in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 22 of the said Act, as the category of persons exempted from obtaining registration under the said Act, subject to the following conditions, namely: —

(i) such persons shall not make any inter-State supply of goods;

(ii) such persons shall not make supply of goods through electronic commerce operator in more than one State or Union territory;

(iii) such persons shall be required to have a Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961);

(iv) such persons shall, before making any supply of goods through electronic commerce operator, declare on the common portal their Permanent Account Number issued under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), address of their place of business and the State or Union territory in which such persons seek to make such supply, which shall be subjected to validation on the common portal;

(v) such persons have been granted an enrolment number on the common portal on successful validation of the Permanent Account Number declared as per clause (iv);

(vi) such persons shall not be granted more than one enrolment number in a State or Union territory;

(vii) no supply of goods shall be made by such persons through electronic commerce operator unless such persons have been granted an enrolment number on the common portal; and

(viii) where such persons are subsequently granted registration under section 25 of the said Act, the enrolment number shall cease to be valid from the effective date of registration.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना सं०.34/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 46, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023-- झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 23 द्वारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, एक इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की पूर्ति करने वाले व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम की धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर संग्रह करने की आवश्यकता होती है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त, कुल आवर्त से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर एक आपूर्तिकर्ता उक्त अधिन्यिम की धारा 22 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत होने के लिए दायित्व के अधीन है, उक्त अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी के रूप में, निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्:--

(i) ऐसे व्यक्ति माल की कोई अन्तरराज्यीय आपूर्ति नहीं करेंगे;

(ii) ऐसे व्यक्ति एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से अधिक में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से मालों की आपूर्ति नहीं करेंगे;

(iii) ऐसे व्यक्तियों को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक की आवश्यकता होगी ;

(iv) ऐसे व्यक्ति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने से पूर्व आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी अपना स्थायी खाता संख्यांक, अपने व्यवसाय के स्थान और राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, जिनमें ऐसी आपूर्ति करने का इच्छुक है, आम पोर्टल पर घोषित करेंगे, जो आम पोर्टल पर विधिमान्यकरण के अधीन होगा ;

(v) ऐसे व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;

(vi) ऐसी व्यक्ति को एक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में एक से अधिक नामांकन संख्या प्रदान नहीं की जाएगी ;

(vii) ऐसे व्यकित द्वारा इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य आपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति नहीं की जाएगी, जब तक कि ऐसे व्यक्तियों को सामान्य पोर्टल पर नामांकन संख्या प्रदान नहीं की गई हो ; और

(viii) जहां ऐसे व्यक्तियों को उक्त अधिनियम की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की पश्चात्वर्ती अनुमति दी जाती है, नामांकन संख्या रजिस्ट्रीकरण की प्रभावी तारीख से विधिमान्य नहीं रह जाएगी।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 730 -- 50.